



मन्त्रमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

विज्ञप्ति संख्या-2019/रा0नि0आ0/स्टोर(4303)/2024 दिनांक 29 दिसम्बर, 2024

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के शासकीय कार्यों के उपयोगार्थ स्विफ्ट डिजायर कार, बोलेरो, ईनोवा क्रिस्टा या इनके समकक्ष वाहनो को मासिक आधार तथा दैनिक आधार पर किराये में लिये जाने हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें

1. राज्य निर्वाचन आयोग को शासकीय कार्यों के सम्पादनार्थ स्विफ्ट डिजायर कार, बोलेरो, ईनोवा क्रिस्टा या इसके समकक्ष वाहनो को मासिक आधार पर (ईंधन रहित वाहन चालक सहित) तथा दैनिक आधार पर किराये में लिये जाने वाले वाहनो को (ईंधन एवं वाहन चालक सहित) दैनिक दरों पर किराये में लिये जाने की आवश्यकता है, जिस हेतु निविदा प्रपत्र आयोग कार्यालय से कार्यालय अवधि में दिनांक 30.12.2024 से दिनांक 06.01.2025 को 4.00 बजे अपरान्ह तक तथा आयोग की वेबसाईट sec.uk.gov.in से निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जा सकते हैं आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
2. फर्म उत्तराखण्ड के किसी भी सम्भागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर होना आवश्यक है। निविदाकर्ता के पास अपने स्वामित्व और अधिकार में स्थानीय परिवहन विभाग द्वारा जुलाई, 2022 के बाद के मॉडल के टैक्सी हेतु पंजीकृत कम से कम 04 वाहन अच्छी हालत में और संतोषजनक सेवा देने योग्य होने चाहिए। पंजीयन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।
3. वाहन का पंजीकरण टैक्सी परमिट में उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राज्यों के लिये मान्य होना चाहिये तथा उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत हो।
4. माली आकंलन हेतु फर्म का विगत 03 वित्तीय वर्षों में से किसी भी 01 वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 10.00 लाख का टर्न ओवर होना चाहिए जिस हेतु वैद्य प्रमाण-पत्र/विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है। (तकनीकी निविदा भाग-1 के साथ संलग्न करें)।
5. तकनीकी निविदा में माँगे गये सभी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कमश:-2

6. टैक्सियों में लगे माइलो मीटर चालू हालत में होने चाहिए। ड्राइवर को मध्यान भोजन या चाय के लिए दूरी तय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. वाहन राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित समय पर रिपोर्ट करना होगा तथा टैक्सी के माइलोमीटर की ओपनिंग तथा क्लोजिंग आयोग के परिसर से शुरू होकर आयोग के परिसर में ही समाप्त होगी।
8. अन्य जनपदों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रू0 300.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्ज का भुगतान पृथक से किया जायेगा तथा चालक को अपने रहने/खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
9. अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा यात्रा करने पर उनके द्वारा की गई यात्रा का विवरण व दूरी का उल्लेख एवं लॉग बुक पर सम्बन्धित व्यक्ति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।
10. वाहन का अनुरक्षण विभागीय मानकों के अनुसार होना चाहिये, सर्विसिंग एवं अन्य लुब्रीकेन्ट तथा मरम्मत आदि की व्यवस्था वाहन स्वामी को स्वयं करनी होगी।
11. फर्म से प्राप्त वाहन को चलाये जाने की अवधि में उपलब्ध कराये गये वाहन या उसके चालक की किसी कारण से दुर्घटना/नुकसान या क्षतिग्रस्त होने या फर्म के चालक की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हुये नुकसान टूट-फूट या चोट लग जाने के लिए या किसी वस्तु के क्षति ग्रस्त होने या किसी कर्मचारी के दुर्घटना ग्रस्त होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। इस की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
12. निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) एवं 18% GST शुल्क रू0 180.00 का अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट जो "सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड" के पक्ष में जारी किया गया हो तथा देहरादून में देय हो, निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है, जो **Non- Refundable** होगा।
13. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ यह भी प्रमाण-पत्र देना होगा, कि उसे कम से कम 5 वाहनों का (टैक्सी कार्यों के संचालन) के कार्य का 03 वर्षों का अनुभव है (तकनीकी निविदा भाग-1 के साथ संलग्न करें)।
14. निविदा स्वीकृत होने पर सेवा प्रदाता फर्म को रू0 50000/- (रूपये पचास हजार) मात्र की प्रतिभूति धनराशि हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो "सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड" के पक्ष में जारी किया गया हो बंधक रखना अनिवार्य होगा।
15. अनुबन्ध की अवधि में यदि कभी सेवा प्रदाता फर्म द्वारा वाहन को समय पर उपलब्ध न कराया जाता है अथवा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो कार्यालय द्वारा वाहन अन्य ट्रैवल्स एजेन्सी से किराये पर लिया जाता है तो उसका भुगतान सेवा प्रदाता को करना होगा।

5 ① 15 2

16. आयोग द्वारा निविदा में उल्लिखित किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का उपयोग निर्वाचन कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत समस्त दिवसों में किसी भी समय (आयोग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार) उपयोग में लाया जायेगा।
17. वाहन के ईंधन औसत न्यूनतम खपत नियमानुसार तय की जाएगी।
18. वाहन के किराये का भुगतान माह व्यतीत होने के उपरान्त धनांवटन उपलब्ध होने पर किया जायेगा, व मासिक बीजक से निर्धारित दरों पर नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।
19. वाहन एवं चालक से सम्बन्धित सभी आवश्यक अभिलेख सदैव वाहन के साथ होने चाहिये, चालक को कम से कम 03 वर्षों का पहाड़ी मार्गों पर चलने अनुभव होना चाहिये तथा वाहन चालक नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है।
20. निविदादाताओं को टैक्सी अनुबन्ध करने हेतु दरें केवल निर्धारित वित्तीय प्रपत्र भाग-2 में ही उपलब्ध करानी होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा स्वीकृत की गयी दरें अनुबन्ध की तिथि से 01 वर्ष के लिए वैध होंगी। इस अवधि को राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सेवा प्रदाता फर्म को आयोग के साथ एक अनुबन्ध करना होगा।
21. उभय-पक्ष किन्हीं परिस्थितियों में अनुबन्ध तोड़ना चाहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून को 40 दिन पहले सूचना देने के बाद अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार रहेगा।
22. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुबन्ध में दी गई शर्तों को तोड़ने पर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून को बिना किसी सूचना के अनुबन्ध को रद्द करने का अधिकार होगा। अनुबन्ध में दी गई शर्तों के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
23. सेवा प्रदाता फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वह देखे कि चालक किसी भी परिस्थितियों में वाहन को ड्रग्स अथवा किसी भी प्रकार के नशे की हालत में न चलाए, चालक के पास वैध लाइसेंस हो, वाहन के वैध कागजात, इंश्योरेंस इत्यादि हो, चालक को विनम्र तथा समय का पांबद होना चाहिए और चालक के आचरण के प्रति भी सेवा प्रदाता फर्म उत्तरदायी होगा। यदि चालक का नियमों को तोड़ने के कारण चालान हो जाता है और यदि ड्राइवर पर कोई दण्ड लगाया जाता है तो उसके लिए सेवा प्रदाता फर्म जिम्मेदार होगा, उक्त के अतिरिक्त वाहन के किसी दुर्घटना व चोरी आदि की स्थिति में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चालक का चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः-4

३ ② 10 २ ५

24. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
25. घर एवं कार्यालय में टेलीफोन एवं मोईबाइल फोन की सुविधा रखने वाली टैक्सी एजेंसी ही आवेदन करें।
26. मोहरबंद निविदा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस प्रकार भेजी जानी चाहिए कि वे दिनांक 06.01.2025 को 04.00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय समय में अवश्य पहुंच जायें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। लिफाफे पर "किराये पर टैक्सी हेतु निविदा दिनांक 06.01.2025 लिखा होना चाहिए।
27. निर्धारित समय में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 06.01.2025 को अपरान्ह 04.30 बजे निविदा दाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो इस अवसर पर उपस्थिति होना चाहिए की उपस्थिति में खोला जायेगा।
28. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्य न करने के कारण यदि निविदा को निरस्त करने के पश्चात नयी निविदाएं आमंत्रित की जाती है तो हर्जाने के रूप में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा जमा की गई बयाना राशि/प्रतिभूति राशि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
29. सेवा प्रदाता फर्म को आयकर, सेवाकर संबंधी कानून तथा समस्त नियमों का पालन करना होगा।
30. एक निविदादाता एक ही निविदा जमा कर सकेगा, जो कि मोहर बन्द लिफाफे में "राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंगरोड, देहरादून को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा करवायेगा। दिनांक 06.01.2025 को अपरान्ह 04.00 बजे तक आयोग में प्राप्त हुयी निविदाओं को ही आयोग द्वारा स्वीकार किया जायेगा।
31. निविदा संबंधी दस्तावेज आयोग की वेबसाईट sec.uk.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
32. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को रद्द कर सकता है और वह न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
33. संलग्न निविदा फार्म-अनुलग्नक-1 (तकनीकी निविदा) व अनुलग्नक-2 (वित्तीय निविदा) के अनुसार निविदा हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा निविदा आवेदन निरस्त माना जायेगा फर्म को तकनीकी रूप से अर्ह होना आवश्यक है।

कमशः-5


S

e

LC

lay

34. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निविदा में उल्लिखित किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का उपयोग आयोग द्वारा माह के समस्त दिवसों हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
35. निविदा के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों में फर्म की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिये।
36. निविदा संबंधी समस्त विवादों का निपटारा जिला न्यायालय, देहरादून के क्षेत्राधिकार में होगा।


(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।



निविदा प्रपत्र भाग-1

राज्य निर्वाचन आयोग को शासकीय कार्यों के सम्पादनार्थ स्विफ्ट डिजायर कार, बोलेरो, इनोवा क्रिस्टा या इनके समकक्ष वाहनों को मासिक आधार पर (ईंधन रहित वाहन चालक सहित) तथा दैनिक आधार पर किराये में लिये जाने वाहनों को (ईंधन एवं वाहन चालक सहित) किराये में लिये जाने हेतु।

फर्म का नाम व पता-.....

मासिक आधार पर किराये हेतु (ईंधन रहित चालक सहित)

वाहन का प्रकार	वाहन का मैक / माडल वर्ष	वाहन के पंजीयन संख्या	वाहन का ईंधन औसत	प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र सं०	वाहन द्वारा निविदा में आवेदन से पूर्व तय की गयी दूरी (Total Running)
	1	2	3	4	5
इनोवा क्रिस्टा (ए.सी.) डीजल/पेट्रोल					
स्विफ्ट डिजायर (ए.सी.) डीजल/पेट्रोल					
बोलेरो					

दैनिक आधार पर किराये हेतु ईंधन व ड्राइवर सहित (मुख्यालय के भीतर एवं बाहर हेतु)

वाहन का प्रकार	वाहन का मैक / माडल वर्ष	वाहन की पंजीयन संख्या	वाहन के ईंधन का औसत	प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र सं०	वाहन द्वारा निविदा में आवेदन से पूर्व तय की गयी दूरी (Total Running)
	1	2	3	4	5
इनोवा क्रिस्टा (ए.सी.) डीजल/पेट्रोल					
स्विफ्ट डिजायर (ए.सी.) डीजल/पेट्रोल					
बोलेरो					

मैं एतद्वारा द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग को वाहन देने के लिए सहमत हूँ, तथा मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी विवरण सही एवं प्रमाणिक है।

दिनांक:

फर्म के स्वामी के हस्ताक्षर

प्रतिष्ठान की सील

☞ ⊕ LC  

वित्तीय निविदा प्रपत्र भाग-2

राज्य निर्वाचन आयोग को शासकीय कार्यों के सम्पादनार्थ स्विफ्ट डिजायर कार, बोलेरो, इनोवा क्रिस्टा या इनके समकक्ष वाहनो को मासिक आधार पर (ईंधन रहित वाहन चालक सहित) तथा दैनिक आधार पर किराये में लिये जाने वाहनों को (ईंधन एवं वाहन चालक सहित) किराये में लिये जाने हेतु।

फर्म का नाम व पता-.....
.....

तालिका-1
मासिक आधार पर किराये हेतु (ईंधन रहित चालक सहित)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	वाहन का मासिक किराये की दर Including GST ड्राईवर सहित (ईंधन रहित) (टोल टैक्स, पार्किंग, दूसरे राज्यों का कर अतिरिक्त) (Duty 12 Hour)
1.	इनोवा क्रिस्टा (ए.सी.) डीजल/पेट्रोल	
2.	स्विफ्ट डिजायर (ए.सी.) डीजल/पेट्रोल	
3.	बोलेरो	



तालिका-2
दैनिक आधार पर किराये हेतु ईंधन व ड्राईवर सहित (मुख्यालय के अन्दर तथा मुख्यालय से बाहर जाने पर दरें)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	किमी/कार्य अवधि	दर प्रतिदिन Including GST (टोल टैक्स, पार्किंग, दूसरे राज्यों का कर अतिरिक्त)	अतिरिक्त कि०मी० की दर	प्रतीक्षा भाड़ा
1.	इनोवा क्रिस्टा (ए.सी.) डीजल/पेट्रोल	8 घंटे/80 K.M प्रतिदिन			
2.	स्विफ्ट डिजायर (ए.सी.) डीजल/पेट्रोल	8 घंटे/80 K.M प्रतिदिन			
3.	बोलेरो	8 घंटे/80 K.M प्रतिदिन			

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग को वाहन देने के लिए सहमत हूँ, तथा मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी विवरण सही एवं प्रमाणिक है।

दिनांक:

फर्म के स्वामी के हस्ताक्षर
प्रतिष्ठान की सील

5 ⊕ 10  

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास रिंग रोड, देहरादून।


दूरभाष 035-2662254

विज्ञप्ति संख्या- 2019 /रा0नि0आ0/स्टोर(4303)/2024

दिनांक 29 दिसम्बर, 2024

वाहनों की आपूर्ति हेतु विज्ञप्ति

राज्य निर्वाचन आयोग को शासकीय कार्यों के सम्पादनार्थ स्विफ्ट डिजायर कार, बोलेरो, ईनोवा क्रिस्टा या इसके समकक्ष वाहनो को मासिक आधार पर (ईंधन रहित वाहन चालक सहित) तथा दैनिक आधार पर किराये में लिये जाने वाले वाहनो को (ईंधन एवं वाहन चालक सहित) दैनिक दरों पर किराये में लिये जाने की आवश्यकता है। उक्त हेतु निविदा संबंधी आवश्यक निर्देश तथा निविदा प्रपत्र आयोग कार्यालय से कार्यालय अवधि में दिनांक 30.12.2024 से दिनांक 06.01.2025 को 04.00 बजे अपरान्ह तक तथा आयोग की वेबसाईट sec.uk.gov.in से निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जा सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा दिनांक 06.01.2025 को 4.00 बजे अपरान्ह तक ही आमंत्रित की जायेगी। निविदा संबंधी आवश्यक निर्देश प्रपत्र निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस एवं समय पर आयोग कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।


(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।







